

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024

दिनांक 17/08/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 16.08.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 16.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सादात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 62/98 धारा 323, 504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 01. रमेश यादव पुत्र रामबचन 02. विनोद यादव पुत्र रामबचन नि0गण ग्राम चैनपुरा थाना सादात जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 323 भादवि में 03 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

02. ‘श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 16.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना भुड़कुड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 525/10 धारा 294, 504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 01. घरभरन पुत्र दूधनाथ कुशवाहा निवासी ओड़ासन थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 294 भादवि में 500 रु0, 504 भादवि में 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

03. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 125/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(5) B.N.S.से सम्बन्धित 05 अदद मोबाईल फोन के साथ 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.08.2024 को उ0नि0 सलाहद्वीन मय हमराह के देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित , चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में मामूर होकर करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर काली माता मन्दिर बहदग्राम करीमुद्दीनपुर के प्रांगण से अभियुक्त 1 . दिनेश राजभर पुत्र मोतीचन्द्र राजभर निवासी ग्राम लड्डूडीह थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष के पहने पैण्ट के बाये व दाये जेब से दो अदद मोबाईल फोन(टच स्क्रीन) 2. बाल अपचारी के पहने लोवर के दाहिने व बाये जेब से एक अदद मोबाईल फोन(टच स्क्रीन) व 02 अदद मोबाईल फोन कीपैड के साथ गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. दिनेश राजभर पुत्र मोतीचन्द्र राजभर निवासी ग्राम लड्डूडीह थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष
2. बाल अपचारी थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय:-

1. दिनांक 16.08.2024 समय 06.30 बजे

बरामदगी:-

1. कुल 05 अदद मोबाईल फोन (तीन अदद मोबाईल फोन(टच स्क्रीन) दो अदद की पैड मोबाईल) अभियुक्त व बाल अपचारी के कब्जे से बरामद किया गया ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

(क) दिनेश राजभर पुत्र मोतीचन्द्र राजभर निवासी ग्राम लड्डूडीह थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष का **आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 125/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(5) B.N.S. थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
 2. मु0अ0सं0 103/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर
- (ख) बाल अपचारी थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 125/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(5) B.N.S. थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

04. थाना बिरनों पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.08.2024 को थानाध्यक्ष संजय कुमार मय हमराह थाना बिरनो जनपद गाजीपुर द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व दबिश वारण्टी मे रवाना थे कि मा0 न्यायालय गाजीपुर द्वारा जारी गिरफ्तारी के अधिपत्र के क्रम मे वारण्टी संगम राजभर पुत्र प्रह्लाद राजभर निवासी ग्राम आगापुर पारा थाना बिरनों जनपद गाजीपुर के घर पर दबिश दिया गया वारण्टी घर पर मौजूद मिला जिन्हे समय 04.40 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी का नाम-पता:-

- 01.संगम राजभर पुत्र प्रह्लाद राजभर निवासी ग्राम आगापुर पारा थाना बिरनों जनपद गाजीपुर

05. थाना सादात पुलिस द्वारा 01 अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 श्री अविनाश मणि तिवारी मय हमराह पुलिस बल के द्वारा आज दिनांक 16.08.2024 को समय करीब - 03.55 बजे वहदग्राम मिर्जापुर थाना सादात गाजीपुर से एक अदद अवैध तमन्चा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सहादुर रामउर्फ वीरू पुत्र स्व0 सुरेश राम निवासी ग्राम देवनाथपुर पठखौली थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.सहादुर राम उर्फ वीरू पुत्र स्व0 सुरेश राम निवासी ग्राम देवनाथपुर पठखौली थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ उम्र 36 वर्ष

बरामदगी-

01 अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0-383/2021 धारा-506/507 भा0द0वि0 थाना केराकत जनपद जौनपुर
- 2.मु0अ0स0-42/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैदपुर गाजीपुर
- 3.मु0अ0स0-20/2022 धारा-3/25 आयुध अधि0 थाना मेहनाजपुर आजमगढ
- 4.मु0अ0स0-104/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सादात

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर